मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१८

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१८ है.

अनुसूची का संशोधन. २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ३० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

अनु-क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"३१.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट.	विंध्य शिक्षा समिति, सरदार पटेल केम्पस, गायखूरी, बालाघाट.	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, नॉलेज सिटी, डोंगरिया, वारासिवनी रोड, बालाघाट.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३२.	डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, खण्डवा.	ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी (आईसेक्ट), भोपाल.	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	डॉ. सी. वी. रमन, विश्वविद्यालय, पोस्ट-छैगांव माखन, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३३.	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर.	स्व. श्री बलवीर सिंह गौतम, शिक्षा प्रसार एवं जन कल्याण समिति, छतरपुर.	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, सागर रोड, नेशनल हाईवे ८६ ग्राम पंचायत बूदौर, जिला छतरपुर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.".

निरसन तथा व्यावृत्ति. ३. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक १० सन् २०१८) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट, डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, खण्डवा तथा श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की है. उक्त अधिनियम की धारा-६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकायों को एक आशय पत्र जारी कर दिया है. उक्त अधिनियम की धारा ८ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण से संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उनके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाए.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक १० सन् २०१८) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए .

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २० जून, २०१८

जयभान सिंह पवैया
भारसाधक सदस्य.